रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 48 ● अंक – 16 ● कानपुर 1 से 15 अगस्त 2026 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

चिकित्सकीय पंजीयन के साथ–साथ

जपदीय पंजीयन भी आवश्यक

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है, अधिकार पूर्वक इस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय किया जा सकता है, बशर्ते ! जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो वह उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन कर रहा हो, जो लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इस पर अभी कोई कानून प्रभावी नहीं है, यह नितान्त भ्रामक व असत्य है क्योंकि चिकित्सा राज्य का विषय होता है और जो चीज जहाँ से नियन्त्रित की जाती है उसे वहाँ से नियन्त्रित होने के लिए प्रयास करने चाहिये यह सत्य है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के लिए स्पष्ट आदेश कर दिये हैं परन्तु यह भी जानना चाहिये कि केन्द्र सरकार आदेश करती है और राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार जनहित में उनका अनुपालन करती हैं, आपको बताते चलें कि चिकित्सा व्यवस्था को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए 18 अगस्त, 2010 को केन्द्र सरकार द्वारा क्लीनिकल स्टेबलिशमेन्ट एक्ट नामक अधिनियम बनाया गया था जिसे हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ लागू करना था।

लगभग 17 वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में यह कानून प्रभावी नहीं है, ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का आदेश 21 जून, 2011 को जारी हुआ था इस आदेश का पालन भी देश के हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश को अनुपालन हेतु निर्देश भी दिये गये हैं देश के एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में 7 माह के अन्दर ही इस आदेश का क्रियान्वयन 04 जनवरी, 2012 को हो चुका था 11 राज्यों में इस आदेश के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बड़ी सुस्त गति से चल रही है।

शेष राज्यों ने अभी इस आदेश के क्रियान्वयन की पहल तक भी नहीं की है, ऐसे में हम सब लोगों को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिये, ऐसा इसलिए होना चाहिये क्योंकि जब तक प्रत्येक राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए राज्य स्तरीय आदेश जारी नहीं होते हैं तब तक उस राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता है और जब तक चिकित्सक को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है तब तक अपनी निजी क्षमतानुसार कार्य नहीं किया जा सकता है और जो कार्य पूरी क्षमता के साथ नहीं किये जाते निश्चित रूप से उन कार्यों के परिणाम भी कभी अच्छे नहीं प्राप्त हो सकते हैं।

आज की तिथि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ऐसे कार्य किये जायें जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़े उदाहरण स्वरूप रोग से पीड़ित मनुष्य की एक मात्र इच्छा यही होती है कि शीघ्र से शीघ्र वह जिस चिकित्सक से चिकित्सा ले रहा है वह उसे रोगमुक्त करे, पैथी के बारे में तभी रोगी की अच्छी राय बनती है, एक बात तो बहुत सामान्य है, वह यह है कि रोगी अपने चिकित्सक के पास पूरे भरोसे के साथ जाता है और वह विश्वास रखता है कि उसका चिकित्सक उसे शीघ्र रोगमुक्त करके आराम दिलायेगा, जब रोगी को आराम मिल जाता है तब वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने चिकित्सक और उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली चिकित्सा पद्धति की प्रंशसा करते नहीं थकता है, यह सब बातें सुनने और कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं परन्तु मूल रूप में उन्हें पाने के लिए जो करना पड़ता है वह शायद न तो हमारे द्वारा किया जाता है और न संस्थाओं द्वारा, आज हर व्यक्ति प्रगति की अन्धी दौड़ में दौड़ा जा रहा है कि सफ़लता मिले ! कैसे मिले ?इसके लिए कोई व्यवस्था निर्मित नहीं है और जब बिना व्यवस्थाओं के सफलता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति संदिग्ध ही रहती है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी निर्विवाद रूप से अधिकार प्राप्त है परन्तु अपने अधिकारों को हम कैसे उपभोग करें ?यह जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं, आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से लगातार सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि इन राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाण पत्र धारकों की क्लीनिकों पर छापे पड़ रहे हैं और उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा रही है, निश्चित रूप से जब इस तरह के समाचार हमारे पास आते हैं तो कष्ट होता है लेकिन जब हम उनके मूल कारणों पर जाते हैं और जो तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वह तथ्य चिन्तनीय होते हैं हम पिछले कई वर्षों से पूरे देश को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता को समझें और उसी के अनुसार आचरण करें, सब लोगों को यह पता होना चाहिये कि चिकित्सा करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है अर्थात जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है उसे उसी राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही पड़ता है।

आज यह मूल समस्या है कि भारत वर्ष के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय पंजीयन किसी न किसी रूप में अवश्य लागू है, उसका स्वरूप चाहे जो भी हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ विडम्बना यह है कि आज भी राज्य स्तरीय परिषदों की तुलना में केन्द्रीय परिषदों का दबदबा ज़्यादा है जब कि राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अपने राज्य में विधि सम्मत ढंग से स्थापित राज्य स्तरीय परिषद में पंजीयन होना चाहिय, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को लगातार परेशान कर रहा है, आज भी देश में ऐसी कुछ संस्थायें हैं जो राष्ट्रीय पंजीकरण जारी करती हैं, उनके अनुसार वे पूरे देश में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती हैं और अपने इस दावे के पक्ष में यह तर्क देती हैं कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक राज्य स्तरीय पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सत्य यह है कि जो संस्थायें केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करती हैं और केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में तथ्य देती हैं वे यथार्थ के धरातल से बिल्कुल अलग होती हैं जो संस्थायें केन्द्रीय अधिकार की बात करती हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने विचारों को वैधानिकता के तराजू पर रखकर तौलें फिर यह तय करें राज्य स्तरीय पंजीयन की आवश्यकता है कि नहीं ?

मान्यता और पंजीयन दोनों अलग अलग बाते हैं मान्यता प्राप्त चिकित्सक यदि चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो उन्हें भी जिस राज्य में वह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस राज्य में पंजीयन कराना आवश्यक होता है तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक अपने लिए कैसे अलग रास्ता बताते हैं ?यदि हम चिकित्सा व्यवसाय हेतु राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करें तो हमें कार्य करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में जिन चिकित्सकों के साथ घटनायें घट रही हैं निश्चित रूप से वे यह सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये, पहली बात तो अधिकांश चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निष्ठावान ही नहीं हैं दूसरी बात यह चिकित्सक कभी भी अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में घोषित ही नहीं करते हैं, हमारे चिकित्सकों को पता नहीं क्यों अपने स्वरूप से स्नेह नहीं है या तो उनमें हीन भावना है या फिर उनका दृष्टिकोण संकुचित हो चुका है।

यदि हम अपने साइनबोर्ड पर यह स्पष्ट उल्लेख करें कि यह क्लीनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की है और इस क्लीनिक को संचालित करने वाला चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथ है तो यकीन मानिये आधी समस्या का समाधान तो प्रारम्भ में ही हो जायेगा, अगली समस्या आती है राज्य स्तरीय पंजीयन के साथ साथ जनपदीय पंजीयन की, यदि हम इनकी प्रपूर्ति भी कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक हम अपने आप को इस रूप में नहीं ढालते हैं तो हमारी परेशानी आसानी से दूर होती नहीं दिखती, सारी प्रपूर्ति के बावजूद भी यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो इसका

शेष पेज 3 पर

भ्रामक समाचार फैलाने वालों का करे विरोध
साइन बोर्ड पर लिखें इलेक्ट्रो होम्यापैथ
पूरे मनोबल के साथ करें चिक्तिसा
जनपदीय पंजीयन को दें प्रमुखता
वैधानिकता को दें प्रमुख स्थान

सावधान हो जाइये!

आजकल पूरे प्रदेश में एक बार फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा झोलाछाप चिकित्सकों के विरूद्ध अभियान बड़ी तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है इसकी सूचनायें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं इन कार्यवाहियों में एक बात प्रमुख रूप से उभर कर आ रही है कि जो चिकित्सक झोलाछाप की श्रेणी में चिन्हित किये जा रहे हैं उनके विरूद्ध एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक ने अपने चिकित्सा कार्य करने हेतु सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को नहीं दी है दूसरे शब्दो में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हमारे चिकित्सक की ही है यदि उक्त चिकित्सक ने अपने साइन बोर्ड पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक/इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सालय अथवा अपने नाम के आगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक लिखाया होता तो सम्भवतः जाँच टीम उनके चिकित्सालय पर आती ही नहीं।

यद्यपि यह एक ऐसी आपत्ति है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि यह आरोप हमें झोलाछाप की श्रेणी से अलग करता है आपको यह बात पुनः जान लेनी चाहिये कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन हर शिक्षित, प्रशिक्षित व प्राधिकृत चिकित्सक अपने चिकित्सा व्यवसाय का पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (केवल एलोपैथिक चिकित्सक के लिये), वैद्य व हकीम – अब क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी अथवा क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, होम्योपैथ ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक ज़िला प्रभारी अथवा क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करता है, जो चिकित्सक ऐसा नही करेंगे भले ही वह मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक ही क्यों न हों स्वतः झोलाछाप की श्रेणी में आ जायेंगे

यह बात जाँच टीम भी जानती है, जाँच टीम को यह अधिकार है कि वह किसी भी पद्धति के चिकित्सक के चिकित्सालय की जाँच कर सकती है (ज्ञातव्य हो कि ऐसी टीमों का गठन सी0एम0ओ0 द्वारा किया जाता है जिसमें एक नोडल अधिकारी की देख रेख में कार्य होता है) चूँकि आपने अपने साइन बोर्ड पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक दर्शाया नहीं है इसलिये जाँच टीम ने आपके चिकित्सालय पर रेड किया है, साइन बोर्ड पर यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक /इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सालय अथवा अपने नाम के आगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक लिखे होने के उपरान्त भी यदि जाँच टीम आती है तो आपके क्लीनिक पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवायें ही होनी चाहिये अन्य पद्धति की कोई भी औषधि यदि पायी जाती है तो आप स्वतः झोला छाप की श्रेणी में आ जाते हैं।

जो चिकित्सक ऐसा नहीं करेंगे भले ही वह मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक ही क्यों न हों स्वतः झोलाछाप की श्रेणी में आ जायेंगे अर्थात अब उत्तर प्रदेश में बिना जनपदीय पंजीयन के आवेदन के बिना चिकित्सा व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, विगत अनेक वर्षों से बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया लगातार अपने स्तर से हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक को बताने का प्रयास कर रहा कि स्थानीय पंजीयन की महत्ता क्या है ? और इसकी उपयोगिता क्या है ? हम प्रयास पर प्रयास निरन्तर कर रहे हैं कि हर एक चिकित्सक तक यह जानकारी पहुँचे, लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों इसलिए बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने गत 5 अप्रैल, 2015 से पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चला रहा है इस अभियान के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित भी किये जा चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे हमारी योजना है कि हम हर जनपद के तहसील स्तर तक इस अभियान को पहुचायें ताकि वह चिकित्सक जो सूचनाओं से दूर हैं वह भी सूचित हों और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति को समझें तथा अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त हों।

आज भी हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं वह अभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये।

HAPPY INDEPENDENCE DAY

80th

FROM

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान संस्थान

ELECTRO HOMOEOPATHIC SYSTEM DEVELOPMENT & RESEARCH INSTITUTE

EHSDRI

&

The trusted name

in Electro Homoeopathy

NATIONAL

National Drugs & Pharmaceuticals

Importer, Exporter, Manufacturer & Publisher

All kinds of Genuine

Electro Homoeopathic Medicines & Literatures

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014

Email: registrarbehmup@gmail.com

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश प्राप्त देश का एक मात्र संगठन

चिकित्सकीय पंजीयन के साथ–साथ प्रथम पेज से आगे

स्थानीय स्तर पर कड़ा विरोध होना चाहिये और सामुहिक रूप से अपनी अधिकारिता सिद्ध करनी चाहिये, हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ पूरे अधिकार के साथ प्रैक्टिस करें, लेकिन विधि सम्मत ढंग से।

परेशानी आज नहीं तो कल अवश्य दूर होगी लेकिन आप द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जिससे कि परेशानियां स्वयं निमन्त्रित हो जायें, हमारी अपेक्षा है कि हर चिकित्सक सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मूल तथ्यों पर विचार करेगा और ऐसी रणनीति बनायेगा जिससे कि कभी पीड़ित न हो सके।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Certificate in Electro Homoeopathy	C.E.H.	10th. Standard or Equivalent	2 Years
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	RegisteredPractitioner in any Branch or Equivalent	1 Year
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग,
लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्या0 : 127/204 ''एस''
जूही, कानपुर–208014
website:
www.behm.org.in

51 Years OF Trust

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।